

निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़(राजस्थान)

मिसल नं० ५५ / प्रा०पत्र / १९

“एयू स्मॉल फाईनेन्स लिमिटेड”(जो पूर्व में “ए.यू. फाईनेन्सर्स(इण्डिया) लिमिटेड” के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़ जयपुर -302001 है।प्राथ्मी बनाम

01. सत्यनारायण कुमार पुत्र फुलचन्द (ऋणी)
पता:- 24, मेघवाल मन्दिर के सामने, मेन रोड़ पचपहाड़, झालावाड़ 326512
02. श्रीमति गायत्रीबाई पत्नी सत्यनारायण (सह-ऋणी)
पता:- 24, मेघवाल मन्दिर के सामने, मेन रोड़ पचपहाड़, झालावाड़ 326512
03. फुलचन्द पुत्र मांगीलाल चन्द (सह-ऋणी/बंधककर्ता)
पता:- 188, देशी शराब का ठेका, पचपहाड़, जिला झालावाड़
दूसरा पता:- पट्टा डीड नं. 991, ग्राम भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002

—: निर्णय :-

दिनांक: 30.12.2019

यह प्रार्थना पत्र प्राथ्मी द्वारा जर्ज्य अधिकृत प्रतिनिधि सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्राथ्मी 1 द्वारा वित्तीय संस्था से दिनांक 29.03.2018 को रूपये 10,50,000/- का ऋण लिया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में अप्राथ्मी सं० 3 ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा डीड नं. 991, ग्राम भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़ जिसका कुल क्षेत्रफल 2695.31 स्क्वायर फीट व उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को प्राथ्मी के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्राथ्मीगण द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नहीं चुकाने पर दिनांक 31.12.2018 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया। प्राथ्मी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथ्मीगण को दिनांक 24.06.2019 को नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्राथ्मीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। अप्राथ्मीगण के खाते में बकाया राशि 11,88,248/- दिनांक 21.06.2019 तक शेष हैं व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्राथ्मीगण जिम्मेदार है। सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्राथ्मी सिक्वोरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्राथ्मी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 31.12.2018 को व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरुद्ध रूपये 11,88,248/- दिनांक 21.06.2019 तक शेष हैं तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्च हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई। उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफैसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है— बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तानुसार प्रा०पत्र के सलग्न शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा०पत्र प्राथ्मी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु अप्राथ्मी द्वारा बैंक में गिरवीकृत अचल सम्पत्ति पट्टा डीड नं. 991, ग्राम भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़ जिसका कुल क्षेत्रफल 2695.31 स्क्वायर फीट, जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है पूर्व में रोड़, पश्चिम में गली, उत्तर में नूर मोहम्मद का मकान व दक्षिण में सुनेश का मकान, उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्राथ्मी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्राथ्मी इस बाबत पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्राथ्मी बैंक व पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति अप्राथ्मी को भी भिजवाया जाना उचित होगा जिससे वह ऋण दाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके, इसी क्रम में अप्राथ्मी को इस आदेश से असन्तुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्राथ्मी बैंक/कम्पनी द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक: 30.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़